

न्यायालय सहायक क्लर्क एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कौचर (आर०ए०ए०)

वाद सं० : 129 सन 2022

अनवान :-

1. सन्दीप कुमार पुत्र हरिसिंह जाति जाट साकिन 16 जेएसएन तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. कमला देवी पत्नी हरीसिंह जाति जाट निवासी चक 16 जेएसएन तहसील नोहर।
2. मन्जू पुत्री हरिसिंह जाति जाट निवासी चक 16 जेएसएन तहसील नोहर।
3. सरोज पुत्री हरिसिंह जाति जाट निवासी चक 16 जेएसएन तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपरिथत : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 11/03/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्रय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 16 जेएसएन के खाता संख्या 138/138 की कुल 82070 हैक् तथा खाता संख्या 139/139 की कुल 0.3410 हैक् व रोही मौजा चक 5 बी बरानी के खाता संख्या 37/37 की कुल 4.0490 हैक् व रोही मौजा चक 16 जेएसएन के खाता संख्या 136/136 की कुल 1.0120 हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के पिता/दादा हरीसिंह वल्द हीराराम , हीराराम वल्द हरसुख के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के पिता/दादा हरीसिंह वल्द हीराराम , हीराराम वल्द हरसुख के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है अर्थात वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम विरास्तन से दर्ज हुई है।

प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 एवं हरिसिंह की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा है जिसे बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकवाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता/दादा हरीसिंह वल्द हीराराम , हीराराम वल्द हरसुख के देहान्त होने पर विरास्तन से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 ने निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

भाई/माता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में उनके बाहमी बटवारा के अनुसार दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में इकबाला दावा पेश किया गया। शामिल गिरसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 4 पेशोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सयुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निम्नतरण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल गिरसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 16 जेएसएन के खाता संख्या 138/138 की कुल 8.2070हैक् तथा खाता संख्या 139/139 की कुल 0.3410हैक् व रोही मौजा चक 5 बी बारानी के खाता संख्या 37/37 की कुल 4.0490हैक् व रोही मौजा चक 16 जेएसएन के खाता संख्या 136/136 की कुल 1.0120हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के पिता/दादा हरीसिंह वल्द हीराराम , हीराराम वल्द हरसुख के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के पिता/दादा हरीसिंह वल्द हीराराम , हीराराम वल्द हरसुख के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है अर्थात वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम विरास्तन से दर्ज हुई है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेशोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पत्ति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सयुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निम्नतरण किया जावे। ता 3 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 16 जेएसएन के खाता संख्या 138/138 की कुल 8.2070हैक् तथा खाता संख्या 139/139 की कुल 0.3410हैक् व रोही मौजा चक 5 बी बारानी के खाता संख्या 37/37 की कुल 4.0490हैक् व रोही मौजा चक 16 जेएसएन के खाता संख्या 136/136 की कुल 1.0120हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से दर्ज है।

जमाबन्दी सम्वत 2029 से 2038 भु0प्रबन्ध विभाग के अनुसार वाद भूमि पिता/दादा हरीसिंह वल्द हीराराम , हीराराम वल्द हरसुख के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के पिता/दादा हरीसिंह वल्द हीराराम , हीराराम वल्द हरसुख के नाम से दर्ज है वादी के पिता/दादा हरीसिंह वल्द हीराराम , हीराराम वल्द हरसुख के देहान्त होने के वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जो प्रस्तुत रिकार्ड से साबित है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या


उपस्थित अधिकारी
बोहर

1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके बाहमी बटवारा के अनुसार उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चर्चा होते हैं के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेशेकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 16 जेएसएन के खाता संख्या 138/138 की कुल 8.2070 हैक् तथा खाता संख्या 139/139 की कुल 0.3410 हैक् व रोही मौजा चक 5 वी बारानी के खाता संख्या 37/37 की कुल 4.0490 हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से दर्ज है में से प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है व रोही मौजा चक 16 जेएसएन के खाता संख्या 136/136 की कुल 1.0120 हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से दर्ज है वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 ,3 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार धोषित किया जात है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तर्तीव तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो ।

निर्णय आज दिनांक 11/03/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हीडनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाया दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. सन्दीप कुमार पुत्र हरिसिंह जाति जाट साकिन 16 जेएसएन तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. कमला देवी पत्नी हरीसिंह जाति जाट निवासी चक 16 जेएसएन तहसील नोहर।
2. मन्जू पुत्री हरिसिंह जाति जाट निवासी चक 16 जेएसएन तहसील नोहर।
3. सरोज पुत्री हरिसिंह जाति जाट निवासी चक 16 जेएसएन तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।


प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 129 सन 2022 निर्णय दिनांक-11/03/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 16 जेएसएन के खाता संख्या 138/138 की कुल 8.2070 हैक् तथा खाता संख्या 139/139 की कुल 0.3410 हैक् व रोही मोजा चक 5 बी बाराणी के खाता संख्या 37/37 की कुल 4.0490 हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से दर्ज है में से प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है व रोही मोजा चक 16 जेएसएन के खाता संख्या 136/136 की कुल 1.0120 हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से दर्ज है वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 ,3 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार धोषित किया जात है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 11/03/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)